कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 52वीं बैठक (विशेष) दिनांक 14.12.2024
कार्यवृत्त

प्रबन्ध मण्डल की 52वीं बैठक (विशेष) दिनांक 14.12.2024 को अपरान्ह् 12:15 बजे विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन स्थित बैठक हॉल में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित की सहभागिता रही :–

	प्रो. कैलाश सोडाणी माननीय कुलपति महोदय, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	अध्यक्ष
2.	**श्रीमती कल्पना देवी** माननीय विधायक–लाडपुरा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
3.	**प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत** कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
4.	**प्रो. एन. सी. गौतम (Online)** कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
5.	**डॉ. अनिता सुखवाल** कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता	सदस्य
6.	**डॉ. के. के. शर्मा** कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता	सदस्य
7.	**प्रो. रीना दाधीच** कुलपति द्वारा नामित आचार्य	सदस्य
8.	**डॉ. अनुकृति शर्मा** विश्वविद्यालय अध्यापक–निर्वाचित सदस्य	सदस्य
9.	**डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा** विश्वविद्यालय अध्यापक–निर्वाचित सदस्य	सदस्य
10.	**डॉ. गीताराम शर्मा** नामित सदस्य, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप–4), राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य

11. **श्री रोहित दीक्षित** **सदस्य**
वित्त विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर के
नामित सदस्य के प्रतिनिधि

12. **श्रीमती भावना शर्मा** **सदस्य सचिव**
कुलसचिव

आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर, बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति एवं सदस्य सचिव द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन किया गया।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार संकल्प/निर्णय पारित किये गये :–

मद संख्या–1	:	प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 21.08.2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।
निर्णय	:	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 21.08.2024 के कार्यवाही विवरण का निम्न मद संख्या 2.1, 5, 6, 10, 11 व 13 में निम्नानुसार संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया:–** **मद संख्या –2.1** : प्रबंध मंडल की 43वीं बैठक दिनांक 10.11.2022 के मद सं0 13(1) में लिये गये निर्णयों में द्वितीय पेराग्राफ–"इसी क्रम में प्रबंध मंडल की बैठक में .... स्थायीकरण आदेश एसीबी के निर्णय के अध्यधीन सशर्त जारी किये जाने संबंधी निर्णय लिया गया।", को विलोपित किये जाने की अनुशंषा की गई। इस बाबत् विश्वविद्यालय के कार्मिकों के पूर्व में स्थगित किये गये स्थायीकरण के आदेशों को प्रत्याहारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 21.08.2024 के कार्यवाही विवरण में अंकित उपरोक्त मद के सम्बन्ध में **सदस्य–सचिव द्वारा निवेदन किया गया कि चूंकि यह प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक है, इसलिये इस बैठक में अति–आवश्यक प्रकरण ही प्रस्तुत किया जाना उचित है। अतः इस पर चर्चा आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में किया जाना उचित होगा।** **तदुपरांत प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत उक्त मद में लिए गये निर्णय के सम्बन्ध में उल्लेखित "प्रबंध मंडल की बैठक में................. स्थायीकरण", में तथ्य अस्पष्ट, अर्थहीन है तथा अपूर्ण है। साथ ही प्रकरण अति–महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त सदन को यह भी अवगत कराया गया कि यह प्रकरण एसीबी के निर्णय के अध्यधीन लिखे होने से स्पष्ट है कि यह ACB का matter Court में Pending (Sub-Judice) है। इसलिए प्रकरण में आदिनांक विधिक/न्यायिक तथ्यात्मक स्थिति के दृष्टिगत इसकी समीक्षा होना आवश्यक है।** **यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक**

10.11.2022 में लिये गए उक्त प्रकरण के निर्णय पर पश्चात्वर्ती प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.09.2023 में ही अनुमोदित किया जा चुका है। जबकि इतने महत्वपूर्ण निर्णय को एजेण्डा आइटम में नहीं रखते हुए, प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 21.08.2024 में कार्यवाही प्रतिवेदन **(Action Taken)** की **Reporting** में परिवर्तित किया गया, जो अमान्य है। अतः उक्त निर्णय के संबंध में कुलसचिव ने असहमति व्यक्त की परन्तु सदन ने इसे अनुमोदित करने का निर्णय, कुलसचिव के इस आग्रह को स्वीकार करते हुये किया कि इस निर्णय को लागू करने में यदि कठिनाई आती है, तो आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में इस पर पुनर्विचार किया जायेगा।

मद संख्या 5 : प्रबन्ध मण्डल में उक्त मद पर चर्चा उपरांत परीक्षा–2024 से परीक्षा केन्द्र के पारिश्रमिक/मानदेय में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुसार अभिवृद्धि किये जाने का प्रकरण वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.03(8)वित्त/व्यय–1/2024 दिनांक 07.10.2024 के क्रम में राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 6 : प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त मद के अन्तर्गत महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी नये सम्बद्धता नियमों के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की गयी। विश्वविद्यालय के नये सम्बद्धता नियम बनाया जाना एक नीतिगत निर्णय है। निरीक्षण मण्डल **(Board of Inspection)** की बैठक दिनांक 08.01.2024 के बिन्दु संख्या 7 में प्रस्तुत किये गये सम्बद्धता नियमों के सम्बन्ध में जल्दबाजी में निर्णय लिया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त मद में प्रस्तुत किये गये सम्बद्धता नियमों का परीक्षण उपरांत पुनः प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त मद में प्रस्तुत निरीक्षण मण्डल **(Board of Inspection)** के शेष कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या 10 : प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 21.08.2024 पर लिये गये निर्णय की निरन्तरता में सदन द्वारा सहायक आचार्य को राशि रु. 6000/–, सह–आचार्य को राशि रु. 7000/– एवं आचार्य को राशि रु. 8000/– मानदेय निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 11 : वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.03 (8) वित्त/व्यय–1/2024 दिनांक 07.10.2024 के क्रम में राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

		मद संख्या 13: प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 21.08.2024 में लिये गये निर्णयानुसार विषय विशेषज्ञों को भुगतान हेतु मानदेय/पारिश्रमिक राशि को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मासिक राशि रु. 25,000/– की सीमा तक भुगतान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या–2	:	कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 (यथा संशोधित अधिनियम–2017 व 2019) की धारा 11(3)(क) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक 16875 दिनांक 04.12.2024 के आलोक में, इस विश्वविद्यालय के कुलपति चयन हेतु गठित की जाने वाली खोजबीन समिति (Search Committee) में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य के मनोनयन पर विचार सम्बंधी प्रस्ताव।
निर्णय	:	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक में उक्त मद पर चर्चा के दौरान प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत, माननीय प्रबन्ध मण्डल सदस्य द्वारा कुलपति चयन हेतु गठित की जाने वाली खोजबीन समिति (Search Committee) में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य के रूप में मनोनयन हेतु डॉ. बी. आर. छीपा, पूर्व कुलपति, एस. के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा। जिस पर सदन द्वारा उक्त नाम का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।**
मद संख्या–3	:	(अ) कोटा विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों में आमंत्रित सदस्यों द्वारा स्वयं के वाहन/ टैक्सी वाहन का उपयोग करने पर वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा राशि रूपये 9/– प्रति कि.मी. की दर से ही भुगतान किया जाता है, जो विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए वाहन की किराये की दर (वार्षिक दर संविदा) एवं बाजार दरों से कम है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर राशि रूपये 10/– प्रति कि.मी. एवं टैक्सी वाहन के लिए राशि रूपये 12/– प्रति कि.मी. की दर निर्धारित है। उक्त के आलोक में कोटा विश्वविद्यालय में भी विभिन्न बैठकों में आमंत्रित सदस्यों हेतु स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर राशि रूपये 10/– प्रति कि.मी. एवं टैक्सी वाहन के लिए राशि रूपये 12/– प्रति कि.मी. की दर (टोल टैक्स अतिरिक्त) किये जाने का प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत है। (ब) विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों (प्रबन्ध मण्डल के अतिरिक्त) में बाह्य व आंतरिक सदस्यों/ शिक्षकों को आने के लिए स्थानीय वाहन भत्ता (Local Conveyance Charges) वर्तमान में राशि रूपये 80/– प्रतिदिन (Both Side) की दर से भुगतान किया जाता है। Fuel Charges में हुई वृद्धि तथा टैक्सी चार्जेज में हुई वृद्धि के दृष्टिगत माननीय सदस्यों/ शिक्षकों/ कार्मिकों को राशि 200/– प्रतिदिन (Both Side) की दर से भुगतान किये

	जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत है।
निर्णय :	**मद संख्या 3 के बिन्दु (अ) एवं (ब) पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–** **(अ) सदन द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों तथा परीक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों से स्वयं के वाहन और किराये के वाहन से आने–जाने हेतु राशि रुपये 12/– प्रति कि.मी. की दर से भुगतान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही टैक्सी और स्वयं की कार से आने–जाने के लिये टोल टैक्स की रसीद भी प्रस्तुत किये जाने पर तद्नुसार भुगतान किये जाने का अनुमोदन किया गया।** **(ब) सदन द्वारा विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों (प्रबन्ध मण्डल के अतिरिक्त) में बाह्य व आंतरिक सदस्यों/शिक्षकों को आने के लिए स्थानीय वाहन भत्ता (Local Conveyance Charges) को Fuel Charges तथा Taxi Charges में हुई वृद्धि के दृष्टिगत वर्तमान में राशि रूपये 80/– प्रतिदिन (Both Side) से बढ़ाकर राशि 200/– प्रतिदिन (Both Side) की दर से भुगतान किये जाने का अनुमोदन किया गया।**
मद संख्या–4 **(प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 21.08.2024 के टेबल एजेण्डा–2)** :	कोटा विश्वविद्यालय की प्रबंध मण्डल की 51वीं बैठक दिनांक 21.08.2024 के एजेण्डा संख्या–2 में लिये गये निर्णयानुसार सीएएस/चयन हेतु लोक सेवा आयोग, अजमेर को शॉर्टलिस्ट किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने वाले विषय विशेषज्ञों के विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित पैनल संबंधी निर्णय हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट प्रबंध मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।
निर्णय :	**उक्त मद पर पूर्व प्रबन्ध मण्डल की 51वीं बैठक दिनांक 21.08.2024 के एजेण्डा संख्या 2 में लिये गये निर्णयानुसार गठित समिति की रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर सदन में चर्चा उपरान्त, समिति की अनुशंषा अनुसार विषय विशेषज्ञों के जो पैनल विद्या परिषद के द्वारा पूर्व में अनुमोदित हैं, का अनुमोदन किया गया।**
पूरक एजेण्डा मद सं. 1 :	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में विभिन्न समितियो की बैठकों में उपस्थित होने वाले बाह्य सदस्यों (विश्वविद्यालय के अतिरिक्त) तथा महाविद्यालयों का निरीक्षण करने हेतु नियुक्त बाह्य व आंतरिक सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय पर विचार/पुनः निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 7210–7215 दिनांक 26.11.2024 द्वारा गठित समिति की दिनांक 13.12.2024 की बैठक की अनुशंषाएं प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय :	**प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त मद पर विचार–विमर्श उपारांत विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 7210–7215 दिनांक 26.11.2024 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 13.12.2024 की अनुशंषाएं अनुमोदित की गयी। तद्नुरूप विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों की बैठकों में उपस्थित होने वाले बाह्य सदस्यों (विश्वविद्यालय के अतिरिक्त) तथा महाविद्यालयों का निरीक्षण करने**

		हेतु नियुक्त बाह्य व आंतरिक सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय के लिये बाह्य सदस्य– राशि रु. 2000/– व आंतरिक सदस्य–राशि रु. 1000/– प्रति महाविद्यालय तथा विभिन्न बैठकों (प्रबन्ध मण्डल, चयन समिति, विद्या परिषद के अतिरिक्त) में सीटिंग चार्जेज– राशि रु. 1000/– की दर से भुगतान किये जाने का अनुमोदन किया गया।
टेबल एजेण्डा मद सं. 1	:	माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं व शैक्षणिक–प्रशासनिक स्तर पर सुधार की आवश्यकताओं के दृष्टिगत एक रिव्यू समिति (Review Committee) का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया।
निर्णय	:	सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुये रिव्यू समिति का गठन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अन्त में कुलपति महोदय ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिये आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

21/12

(प्रो. कैलाश सोडाणी)
कुलपति
एवं अध्यक्ष

(भावना शर्मा)
कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव